126/2020

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं0 – 126/2020

प्रविष्टि दिनांक – 30.12.2020

उनवान

1. रफीउन्निसा जैनब बेवा मरहुम अताउल्लाह खां उर्फ सरफराज जाति मुसलमान निवासीयान पांचवत्ती काली पलटन रोड घोसियों का मोहल्ला टोंक
2. मोहम्मद जियाउल्लाह खान जैद पुत्र मरहुम अताउल्लाह खां उर्फ सरफराज जाति मुसलमान निवासीयान पांचवत्ती काली पलटन रोड घोसियों का मोहल्ला टोंक
3. मोहम्मद जकाउल्लाह खान जैद पुत्र मरहुम अताउल्लाह खां उर्फ सरफराज जाति मुसलमान निवासीयान पांचवत्ती काली पलटन रोड घोसियों का मोहल्ला टोंक
4. मोहम्मद असदउल्लाह खान जुबैर नाबालिग सरपरस्त माता रफीउन्निसा जैनब पुत्र मरहुम अताउल्लाह खां उर्फ सरफराज जाति मुसलमान निवासीयान पांचवत्ती काली पलटन रोड घोसियों का मोहल्ला टोंक

प्रार्थीगण

बनाम

1. सनाउल्लाह खान पुत्र मरहुम हकीम मोहम्मद इबादुल्लाह खान सभी जाति मुसलमान निवासीयान पांचवत्ती काली पलटन रोड घोसियों का मोहल्ला टोंक
2. वहीदउल्लाह खान पुत्र मरहुम हकीम मोहम्मद इबादुल्लाह खान सभी जाति मुसलमान निवासीयान पांचवत्ती काली पलटन रोड घोसियों का मोहल्ला टोंक
3. मोहम्मद अमीन पुत्र मरहुम हकीम मोहम्मद इबादुल्लाह खान जाति मुसलमान निवासीयान पांचवत्ती काली पलटन रोड घोसियों का मोहल्ला टोंक (राज0)
4. सईदा खातून पुत्री मरहुम हकीम मोहम्मद इबादुल्लाह खान पत्नि रियाजुद्दीन खान निवासी वजीर मोहम्मद खां की गली काफला बाजार टोंक (राज0)
5. तहसीलदार साहब टोंक

प्रतिपक्षीगण

उपस्थित– श्री फिरोज अहमद – अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री राधेश्याम गर्ग – अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

दावा बाबत– दुरूस्ती इन्द्राज उदघोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक :– 13/01/2021

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपने वाद पत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार आया वाद आराजीयात खसरा नम्बर 170/1 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, ख0नं0 170/2 रकबा 17 बिस्वा, ख0नं0 138 रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 171 रकबा 3 बिस्वा, ख0नं0 137/3 रकबा 3 बीघा में से 1/3 हिस्सा, ख0नं0 137/4 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 139 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 166/1 रकबा 1 बीघा, ख0नं0 172/2 रकबा 12 बिस्वा, ख0नं0 560/1 रकबा 11 बिस्वा, ख0नं0 137/1 रकबा 1 बीघा, ख0नं0 172/1 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, ख0नं0 142/1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, ख0नं0 509 रकबा 15 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा कुल रकबा 18 बीघा वाके ग्राम पालड़ा तहसील व जिला टोंक में स्थित है, जिनका अंकन जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में दर्ज है। उपरोक्त आराजीयात प्रार्थीगण सं0 2 ता 4 के दादा एवं वादिया सं0 1 के ससुर स्व0 हकीम मोहम्मद इबादुल्लाह खां पुत्र स्व0 असदउल्लाह खां की विरासत में आई सम्पत्ति है, जिसमें प्रार्थीगण के पति एवं पिता की मृत्यु के बाद उनका 1/5 हक हिस्सा है जिसका शजरा निम्नानुसार है –

मरहुम इबादुल्लाह खां

वहीदुल्लाह (जीवित)	अताउल्लाह (मृतक)	सनाउल्लाह (जीवित)	मो0 अमीन (जीवित)	सईदा खातून (जीवित)	रेशमा खातून (पाक. नागरिक)

रफीउन्निसा जैनव (पत्नि)

जियाउल्लाह	जकाउल्लाह	असदउल्लाह (नाबालिग)

इबादुल्लाह खां का दिनांक 11.07.2019 को निधन हो चुका है और उससे पूर्व प्रार्थीगण के पिता एवं पति अताउल्लाह खां का दिनांक 19.04.2019 को निधन हो चुका है तथा इबादुल्लाह खां की पत्नि फिरोजा खातून का निधन भी दिनांक 21.08.2020 को हो चुका है। मरहुम इबादुल्लाह खां प्रार्थीगण सं0 2 ता 4 से बेपनाह मोहब्बत करते थे तथा इबादुल्लाह के पुत्र तथा प्रार्थीगण सं0 2 ता 4 के पिता अताउल्लाह के निधन के पश्चात ऐलानियां पुरे परिवार के सामने तथा अप्रार्थीगण के सामने कह चुके थे कि यह मेरी जबानी हिबा समझना कि मेरे आराजीयात व सम्पत्ति में बराबर का हक हिस्सा है। प्रार्थीगण को मैं इबादुल्लाह खां किसी भी प्रकार से बेदखल नही करता हूँ तथा इन्हें इनका हिस्सा मेरे मरने के बाद दे दिया जावे, जिसके गवाह अकबर सईद खान व मोहम्मद वजीर खान के सामने जबानी हिबा भी कर रखा था। उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण का कुल हक व हिस्सा 1/5 है, जिसे अप्रार्थीगण षड़यंत्रपूर्वक हड़पने पर आमादा है। इबादुल्लाह खां की उक्त आराजीयात जिसको उन्होनें जबानी हिबा अपनी जिंदगी में अपनी 4 जीवित संतान व एक मृतक संतान के वारिसान व उसकी बेवा तथा स्वयं की पत्नि फिरोजा खातून के नाम जबानी हिबा कर चुके थे तथा एक पुत्री जो कि पाकिस्तान की निवासी थी, उसे अपनी जिंदगी में ही उक्त आराजीयात से पाकिस्तान की नागरिकता होने के कारण बेदखल कर चुके थे। प्रार्थनापत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे स्वयं, जरिये एजेण्ट, नौकर रिश्तेदार या अन्य किसी दीगर व्यक्ति के माध्यम से उक्त वर्णित आराजीयात भूमि खसरा नम्बर 170/1 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, ख0नं0 170/2 रकबा 17 बिस्वा, ख0नं0 138 रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 171 रकबा 3 बिस्वा, ख0नं0 137/3 रकबा 3 बीघा में से 1/3 हिस्सा, ख0नं0 137/4 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 139 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 166/1 रकबा 1 बीघा, ख0नं0 172/2 रकबा 12 बिस्वा, ख0नं0 560/1 रकबा 11 बिस्वा, ख0नं0 137/1 रकबा 1 बीघा, ख0नं0 172/1 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, ख0नं0 142/1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, ख0नं0 509 रकबा 15 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा कुल रकबा 18 बीघा वाके ग्राम पालड़ा तहसील व जिला टोंक (राज0) में प्रार्थीगण के 1/5 हक, हिस्से में किसी भी तरह से मजाहमत व मदाखलत नही करे, बेदखल कर स्वयं कब्जा करने का प्रयास नही करे, प्रार्थीगण को उनके 1/5 हक, हिस्से की आराजीयात को काश्त करने, फसल बोने–जोने–काटने में अवरोध कारित नही करे, ना करावे। अन्य कोई न्यायोचित सहायता जो प्रार्थीगण के हित में लाभप्रद हो, दिलायी जावे।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे तहरीर रिपोर्ट, नृत्यु प्रमाण पत्र अताउल्लाह, मृत्यु प्रमाण पत्र इबादूल्लाह, प्रार्थनापत्र नामान्तरण, शपथपत्र, जमाबन्दी, जमाबन्दी मिलान क्षेत्रफल, खसरा बन्दोबस्त आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिपक्षीगण 1 ता 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर विशेष कथन में निवेदन किया कि

प्रार्थनापत्र के चरण नं0 2 में वर्णित सम्पूर्ण आराजियात स्व0 हकीम मोहम्मद इबादुल्ला खां पुत्र स्व0 मोहम्मद अरादउल्ला खां की आराजी खातेदारी व कब्जे काश्त की थी। स्व0 हकीम इबादुल्ला खां का दिनांक 11.07.2019 को शहर टोंक में निधन हो चुका। उन्होंने अपने जीवनकाल में दिनांक 08.07.2019 को अपने तीनों बेटे वहीदुल्ला, सनाउल्ला, मोहम्मद अमीन एवं पुत्री साईदा खातून के हक में वसीयत निष्पादित की थी, उस वसीयत में अपनी में अपनी पत्नी फिरोजा खातून के खाने–पीने व भरण पोषण की जिम्मेदारी अपने तीनो बेटो को दी थी। चूंकि प्रार्थीया नं0 1 के पति एवं प्रार्थीगण नं0 2 ता 4 के पिता अताउल्ला खां का दिनांक 19.04.2019 को उनके पिता हकीम मोहम्मद इबादुल्ला खां के जीवनकाल में ही हो गया था इस कारण मुस्लिम पर्सनल लॉ शराह शरीयत के प्रावधानानुसार मृतक अताउल्ला की पत्नि एवं मृतक के तीनों पुत्रों का किसी भी तरह का कोई हक व हिस्सा नही बनता है। इस सम्बन्ध में भी वसीयत दिनांक 08.07.2019 की वसीयत में लिखा हुआ है। वसीयत के अनुसार काफला स्थित मकान तीनों पुत्रों को बराबर–बराबर एवं जमीन का हिस्सा शरीयत के अनुसार व मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानानुसार तीनों लड़के वहीदुल्ला, सनाउल्ला व मोहम्मद अमीन तथा पुत्री साईदा खातून को दिया गया है। इसके पश्चात हकीम इबादुल्ला की पत्नि फिरोजा खातून का निधन भी दिनांक 21.08.2020 को हो चुका है। स्व0 हकीम इबादुल्ला खां द्वारा जो वसीयत दिनांक 08.07.2019 को की गयी है इसके अतिरिक्त उनके द्वारा किसी भी तरह का कोई जुबानी हिबा प्रार्थीगण अथवा किसी के हक में नही किया गया है, महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रार्थीगण द्वारा जुबानी हिबा की तारीख, स्थान, समय आदि तक नही लिखा है इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा जो जुबानी हिबा की कहानी बनायी गयी है वह पूर्णतया असत्य है। यदि स्व0 हकीम मोहम्मद इबादुल्ला खां द्वारा किसी तरह का कोई जुबानी हिबा प्रार्थीगण के हक में किया गया होता तो उनके द्वारा की गयी वसीयत दिनांक 08.07.2019 में अवश्य अंकित होता लेकिन इस वसीयत में जुबानी हिबा की बाबत एक शब्द भी अंकित नही है जिससे स्पष्ट है कि यह जुबानी हिबा की कहानी कपोलकल्पित है। तत्पश्चात प्रतिवादी नं0 1 द्वारा अपने भ्राता वहीदुल्ला खां, मोहम्मद अमीन एवं बहिन साईदा खातून तथा माता फिराजा खातून के विरूद्ध विभाजन का वाद बाबत मकान एवं आराजियात जिला न्यायाधीश टोंक के न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसका उनवान सनाउल्ला बनाम वहीदुल्ला खां मु0नं0 01/2020 है। इस वाद में दिनांक 07.12.2020 को पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया और तीनों भाई व साईदा खातून ने राजीनामा लिखित में लिखकर न्यायालय में पेश कर दिया, राजीनामें के पूर्व ही फिरोजा खातून का दिनांक 21.08.2020 को निधन हो चुका था। लिखित राजीनामा दिनांक 12.12.2020 को लोक अदालत के माध्यम से जिला न्यायाधीश टोंक द्वारा तस्दीक किया गया एवं उसी दिन अर्थात दिनांक 12.12.2020 को ही राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा अवार्ड/पंचाट पारित कर दिया गया। इस अवार्ड के द्वारा मकान के तीन भाग किये जाकर तीनों भाईयों को दे दिया गया तथा जमीन के 7 हिस्से किये जाकर एक हिस्सा साईदा खातून को तथा साईदा खातून के हिस्से से डबल हिस्सा अर्थात 2–2 हिस्सा तीनों भाई वहीदुल्ला, सनाउल्ला एवं मो0 अमीन को दिया गया। इन समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थीगण का प्रा0पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज किये जाने योग्य है, यदि विपक्षीगण 1 ता 4 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पावन्द कर दिया गया तो विपक्षीगण 1 ता 4 को अपार, आर्थिक हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति मुद्रा में नही की जा सकेगी साथ के साथ यह भी निवेदन है कि चूंकि राष्ट्रीय लोक अदालत (जिला न्यायाधीश) टोंक द्वारा दिनांक 12.12.2020 को पंचाट पारित कर दिया गया है इस कारण माननीय न्यायालय को इस आराजियात के बारे में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने का अधिकार नही है।

हमने प्रार्थनापत्र पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। बहस का प्रथक से विवेचन नही किया जा रहा है। प्रार्थीगण के हक अधिकार संबंधी तथ्य, साक्ष्य दस्तावेजो से वाद निर्णय के समय तय किये जायेंगे। प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2070–73 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वर्तमान में पक्षकारान के पूर्वज ईबादुल्ला पुत्र उसादुल्ला खां के नाम दर्ज है। प्रार्थना पत्र के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण सं0 2 ता 4 के दादा एवं वादिया सं0 1 के ससुर स्व0 हकीम मोहम्मद इबादुल्लाह खां पुत्र स्व0 अरादउल्लाह खां की विरासत में आई सम्पत्ति है, जिसमें प्रार्थीगण के पति एवं पिता की मृत्यु के बाद उनका 1/5 हक हिस्सा है। उक्त

आराजीयात में प्रार्थीगण का कुल हक व हिस्सा 1/5 है, जिसे अप्रार्थीगण षड्यंत्रपूर्वक हड़पने पर आमादा है। इबादुल्लाह खां की उक्त आराजीयात जिसको उन्होंने जवानी हिबा अपनी जिंदगी में अपनी 4 जीवित संतान व एक मृतक संतान के वारिसान व उसकी बेवा तथा स्वयं की पत्नि फिरोजा खातून के नाम जवानी हिबा कर चुके थे तथा एक पुत्री जो कि पाकिस्तान की निवासी थी, उसे अपनी जिंदगी में ही उक्त आराजीयात से पाकिस्तान की नागरिकता होने के कारण बेदखल कर चुके थे। प्रतिपक्षीगण ने जवाब में निवेदन किया है कि ईबादुल्ला ने अपने जीवनकाल में दिनांक 08.07.2019 को अपने तीनों बेटे वहीदुल्ला, सनाउल्ला, मोहम्मद अमीन एवं पुत्री सईदा खातून के हक में वसीयत निष्पादित की थी, उस वसीयत मे अपनी में अपनी पत्नी फिरोजा खातून के खाने–पीने व भरण पोषण की जिम्मेदारी अपने तीनो बेटो को दी थी। चूंकि प्रार्थीया नं0 1 के पति एवं प्रार्थीगण नं0 2 ता 4 के पिता अताउल्ला खां का दिनांक 19.04.2019 को उनके पिता हकीम मोहम्मद इबादुल्ला खां के जीवनकाल में ही हो गया था इस कारण मुस्लिम पर्सनल लॉ शराह शरीयत के प्रावधानानुसार मृतक अताउल्ला की पत्नि एवं मृतक के तीनों पुत्रों का किसी भी तरह का कोई हक व हिस्सा नही बनता है। इस प्रकार वसीयत संबंधित दस्तावेज के बिन्दु पर मूल प्रकरण में किया जावेगा। इस कारण प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रतीत होता है। चूंकि वर्तमान मे उक्त विवादित भूमि पक्षकारान के पूर्वज इबादुल्ला की खातेदारी मे अंकित है और मृतक के वारिसान का नामांतकरण नहीं खोला गया है। यदि स्थगन नहीं दिया गया तो राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन से प्रार्थीगण का हित प्रभावित हो सकता है। अतः अपूर्णीय क्षति का विन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है। अतः उक्त तीनो विन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने के कारण प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर, मूल वाद निर्णय तक प्रतिपक्षीगण को पाबन्द किया जाना उचित एंव न्यायहीत में है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र बावत अस्थाई निषेधाज्ञा खसरा नम्बर 170/1 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, ख0नं0 170/2 रकबा 17 बिस्वा, ख0नं0 138 रकबा 5 बिस्वा, ख0नं0 171 रकबा 3 बिस्वा, ख0नं0 137/3 रकबा 3 बीघा में से 1/3 हिस्सा, ख0नं0 137/4 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, ख0नं0 139 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, ख0नं0 166/1 रकबा 1 बीघा, ख0नं0 172/2 रकबा 12 बिस्वा, ख0नं0 560/1 रकबा 11 बिस्वा, ख0नं0 137/1 रकबा 1 बीघा, ख0नं0 172/1 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, ख0नं0 142/1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, ख0नं0 509 रकबा 15 बिस्वा में से 1/2 हिस्सा कुल रकबा 18 बीघा वाके ग्राम पालड़ा तहसील व जिला टोंक स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा, वाद निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्भूमि के राजस्व रिकार्ड एंव मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर, नंबर से कम की जाकर, मूल वाद मे शामिल की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13/1/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

(नित्या के0)

आई.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी,टोंक

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)